UPJL050008562022

Presented on : 14-06-2022
Registered on : 14-06-2022
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D.)/F.T.C.
AT ,Jalaun
(Presided Over by Smt. Anukriti Sant)

Complaint Cases/2511/2022

न्यायालयः सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0,

जालौन स्थान उरई।

परिवाद संख्या– 2511/2022
जसराम राठौर बनाम सौरभ मिश्रा।

दिनांक 06.12.2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश की गई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का परिवार प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी ने विपक्षी सौरभ मिश्रा से कहा कि मुझे एक प्लाट लखनऊ में क्रय करना है। अगर आपका परिचित व्यक्ति हो तो बताना तब आपने अपना प्लाट लखनऊ में विक्रय हेतु दिखाया तब परिवादी ने गनद 80000/– रू 0 बतौर बयाना दिये तथा विपक्षी सौरभ मिश्रा ने कहा कि मेरे भाई सत्येन्द्र मिश्रा के खाते में 3,50,000/– रू0 ट्रान्सफर कर दे बाकी बैनामा का रूपया बैनामा के समय देना। परिवादी ने अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिंटी उरई से दिनांक 08.10.2021 को विपक्षी सौरभ मिश्रा के भाई सतेन्द्र मिश्रा के नाम एच. डी.एफ.सी. शाखा अलीगंज लखनऊ के एकाउन्ट नं0 50100283059780 में 3,50,000/– ट्रान्सफर कर दिये। परिवादी को उपरोक्त प्लाट के कागजात परिवादी को सही नहीं लगे तो परिवादी ने प्लाट लेने से मना कर दिया तब विपक्षी सौरभ मिश्रा ने परिवादी द्वारा नगद दिये 80000/– रूव परिवादी के खाते में डाले। परिवादी के अवशेष रू0 3,50,000/– के संबंध में 200000/– /– व 150000/– रू0 की दो चैक दिनांक 04.04.2022 की सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अलीगंज लखनऊ की दी। परिवादी ने चैक एस.बी.आई. शाखा सिटी ब्रांच उरई में अपने खाता सं0 11590199724 में दिनांक 25.04.2022 को लगाई जो दिनांक 27.04.2022 को Fund insufficient की होने के कारण रिटर्न मेमो के साथ वापिस कर दी गयी। परिवादी ने दिनांक 27.04.2022 को चैक वापिस के बाद एक माह के अंदर जरिये अधिवक्ता विपक्षी सौरभ मिश्रा के पते पर रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 21.05.2022 को भेजा तब घरवालों ने बताया प्राप्तकर्ता लखनऊ में रहता है। सही पता नहीं मालूम अतः प्रेषक को वापिस दिनांक 26.05.2022 को टिप्पणी के सहित परिवादी के अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह को वापिस प्राप्त हुई।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के समर्थन मे क्रमशः चैक सं0 038794, 038795 की मूल प्रति, चैक वापिसी मैमो, रूपया जमा प्रपत्र, नोटिस व रजिस्ट्री रसीद मूल रूप से व छायाप्रति आधार कार्ड दाखिल किये गये है।

मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि परिवादी द्वारा जो क्रमशः चैक सं0 038794, 038795 की मूल प्रति, चैक वापिसी मैमो, नोटिस व रजिस्ट्री

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPJL050008562022/truecopy/order-1.pdf

रसीद मूल रूप से व छायाप्रति आधार कार्ड दाखिल किया गया है, उससे परिवादी के कथनों का समर्थन होता है तथा विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा 138 एन0आई0एक्ट का अपराध बनता प्रतीत होता है। अतः विपक्षी धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सौरभ मिश्रा को धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत जरिये समन आहूत किया जाता है। परिवादी लिस्ट गवाहान प्रस्तुत करे तथा पैरवी दोनों प्रकार से जरिये स्पीडपोस्ट व जरिये समन अंदर दस दिन में करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 06.01.2024 को पेश हो।

दिनांक 06.12.2023

सिविल जज(सी0डि0)/एफ0टी0सी0
जालौन स्थान उरई।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPJL050008562022/truecopy/order-1.pdf